

प्रेषक,

एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2026

विषय: 'हर घर तिरंगा अभियान 2026'।

महोदया/ महोदय,

कृपया संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 42-22/119/2022-AKAM(PT II), दिनांक 14 जुलाई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) तथा मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर पर दिनांक 24, 25 एवं 31 जुलाई, 2026 को सम्पन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 'हर घर तिरंगा अभियान' शुरू किया गया था; इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत एवं भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों से यह अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जनभागीदारी आन्दोलन के रूप में सफल बन चुका है।

'हर घर तिरंगा अभियान' का वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण देश के सभी घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह अभियान कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र सेवा एवं सम्मान में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

इसी भावना को जारी रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' की 150वीं जयन्ती मनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा वन्दे मातरम के तृतीय चरण के साथ 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' को उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच सम्पूर्ण देश में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूप में आयोजित किया जाएगा; भौतिक रूप से तिरंगा फहराते हुए 'वन्दे मातरम' का गायन किया जाएगा तथा डिजिटल सैलीब्रेशन के अन्तर्गत तिरंगा के साथ सैल्फी एवं वन्दे मातरम के गायन को हर घर तिरंगा की वेबसाइट (www.harghartiranga.com) पर सैल्फी लेते हुए अपलोड किया जाएगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग आदि एवं उनकी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं तथा अन्य संस्थाएं इस अभियान में भाग लेते हुए हर घर तिरंगा की गतिविधियों को जनभागीदारी के साथ संचालित करेंगी। 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रमुखता से आयोजित किए जाएं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- **तिरंगा रैली:-** प्रदेश में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें प्रतिभागी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) लेकर चलेंगे तथा रैली के आरम्भ में **"वंदे मातरम्"** का सामूहिक गायन किया जाएगा। इनमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक संगठन शामिल होंगे। रैलियों के लिए उचित मार्ग योजना, प्रतिभागियों का पंजीकरण, स्वतन्त्र सत्यापन तथा सुरक्षा एवं अनुशासन समस्त जिलों में सुनिश्चित किया जाए।
- **तिरंगा कॉन्सर्ट:-** प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में तिरंगा कॉन्सर्ट के आयोजन सुनिश्चित किए जाएं, जिनमें युद्धों में शहीद हुए सेनानियों व स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों के परिजनों को आमन्त्रित कर सम्मानित किया जाए। कॉन्सर्ट में स्थानीय जन प्रतिनिधियों/ गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कॉन्सर्ट के अन्तर्गत तिरंगा गान, देशभक्ति के गीतों तथा **"वंदे मातरम्"** का सामूहिक गायन एवं अन्य राष्ट्रभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ-साथ स्कूल बैण्ड / पुलिस बैण्ड / आर्मी बैण्ड आदि द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के वादन को सम्मिलित किया जाए।
- **स्वतन्त्रता दिवस समारोह:-** स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में **"वंदे मातरम्"** का सामूहिक गायन तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का ध्वजारोहण सुनिश्चित किया जाएगा।
- **तिरंगा प्रदर्शनी:-** प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, सार्वजनिक उद्यान आदि में तिरंगा प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा यथासम्भव प्रदर्शनियों का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाए। प्रदर्शनियों की रूपरेखा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, जिसे **हर घर तिरंगा** पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका यूआरएल (URL) <https://harghartiranga.com/downloads> है।
- **राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा):-** इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक घर, कार्यालय, सार्वजनिक उद्यम आदि पर तिरंगा फहराया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के वितरण के लिए योजना तैयार कर ली जाए।
- **तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण:-** प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों, प्रमुख चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण का कार्य कराया जाए।
- **तिरंगा-थीम आधारित रंगोली:-** प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित रंगोली बनवाई जाएं।
- **तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ:-** विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे परिसर की दीवारों पर तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ, स्वतन्त्रता सेनानियों के चित्र (Paintings) तथा **"वंदे मातरम्"** के अंश अंकित करें।
- **हर घर तिरंगा अभियान 2026 का प्रचार-प्रसार:-** समस्त विभागों एवं जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं की आधिकारिक वेबसाइट एवं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर **'हर घर तिरंगा अभियान 2026'** का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनमानस को डिजिटल अभियान में भाग लेने हेतु **"सैल्फी विद तिरंगा"** को **हर घर तिरंगा** पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- **तिरंगा सैल्फी:-** तिरंगे के साथ सैल्फी लेते हुए फोटो एवं **वंदे मातरम्** गायन के वीडियो **हर घर तिरंगा** वेबसाइट पर (www.harghartiranga.com) पर अपलोड किए जाएं। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान को निर्देश जारी किए जाएं कि विद्यालयों में सैल्फी प्वाइंट बनाते हुए विद्यार्थी तिरंगे के साथ सैल्फी लेकर एवं **वंदे मातरम्** गाते हुए वीडियो एवं फोटो अपलोड करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तिरंगा फहराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जारी झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)

प्रत्येक जिला स्तर पर नामित नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि, झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश तथा अन्य जानकारी से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। झण्डा फहराने के नियम व झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। (संलग्नक-2 व 3)

इस वर्ष **हर घर तिरंगा अभियान 2026** का आयोजन **वंदे मातरम** के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित होगा। भौतिक रूप से आयोजित कार्यक्रमों में **वंदे मातरम** का गायन अवश्य किया जाए। **वंदे मातरम** के गायन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन्स जारी की गई हैं, जिनको इस लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:-

https://orders_relatingto_singingplayingnationalsong_nationalanthemofindiaeng_09072026_0_0.pdf/। इस शासनादेश के साथ इसका पीडीएफ भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

"**हर घर तिरंगा अभियान 2026**" के सफल आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्रमशः पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा **हर घर तिरंगा अभियान 2026** के आयोजन हेतु बड़े जनपदों को ₹0 10.00 लाख एवं छोटे जनपदों को ₹0 5.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस धनराशि से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के क्रय का कार्य नहीं किया जाएगा; यह धनराशि जनपदों में **हर घर तिरंगा अभियान 2026** के अन्तर्गत होने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट की व्यवस्थाएं, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली, प्रतियोगिताएं आदि तथा विभाजन विभीषिका से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से '**हर घर तिरंगा अभियान 2026**' का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
एस० पी० गोयल
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2026 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/ नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
7. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ०प्र०।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अमृत अभिजात
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



D.O. No.42-22/119/2022-AKAM(Pt.II)

July 14, 2026

Dear Shri Goyal,

As you are aware, Government of India launched the Har Ghar Tiranga (HGT) campaign in 2022 under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. The objective of this campaign has been to encourage citizens to hoist the National Flag at their homes and build a personal and emotional connection with the Tiranga. Over the years, the campaign has become a successful Jan Bhagidari movement of national identity, patriotism and pride.

2. The HGT campaign was successfully implemented during the years 2022, 2023, 2024 and 2025, with Tiranga being prominently hoisted across homes, offices, institutions and public spaces nationwide on Independence Day. Activities such as Selfie with Tiranga, Prabhat-pheris, Tiranga Rallies (including bike and cycle rallies), Tiranga exhibitions, along with other grassroots-level Jan Bhagidari initiatives, have made Independence Day celebration a more participative and widely celebrated occasion across the country. The campaign has also served as a special occasion for the public to pay heartfelt tribute to the freedom fighters and soldiers who laid down their lives in the service of the nation and in honour of the Tiranga.

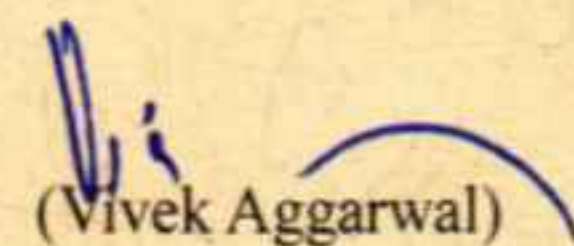
3. In continuation of this spirit, Government of India is currently commemorating 150 years of the National Song "Vande Mataram". In this regard, National Implementation Committee (NIC), under the Chairmanship of the Hon'ble Union Minister of Home Affairs and Cooperation, has approved, vide its directions dated 13.03.2026, the integration of the third phase of the commemoration with Har Ghar Tiranga 2026. Accordingly, Government of India has decided to celebrate Har Ghar Tiranga 2026 across the country from 9th to 17th August 2026. During this period, all physical celebrations shall bring together singing of the National Song "Vande Mataram" and hoisting/display of the National Flag (Tiranga). Similarly, all digital celebrations shall also bring together these two components through the Har Ghar Tiranga website (www.harghartiranga.com), wherein citizens may upload Selfie with Tiranga and the lyrics of "Vande Mataram" shall automatically appear as part of the uploaded picture.

4. In this regard, State Government/UT Administration is requested to actively support Har Ghar Tiranga 2026 campaign by ensuring participation of all Departments, District Administrations, Urban Local Bodies, Panchayati Raj Institutions, educational institutions and other agencies under its administrative control. The activities to be undertaken with under Har Ghar Tiranga 2026 with high Janbhagidari are enclosed at Annexure-I.

5. In the above context, it is requested to kindly nominate a Nodal Officer from your Department to coordinate with the Ministry of Culture for effective implementation of HGT 2026 campaign.

With regards,

Yours sincerely,


(Vivek Aggarwal)

Shri Shashi Prakash Goyal
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

ANNEXURE-I

Activities to be undertaken by the State Governments/Union Territory Administrations under Har Ghar Tiranga 2026

1. The States/UTs will organize **Tiranga Rally with large-scale procession** featuring participants carrying the Indian National Flag in accordance with the Flag Code of India and singing Vande Mataram at the start of the rally. The rally can involve citizens from all walks of life, including students, youth, government officials, armed forces personnel, and community organizations, promoting patriotism, national unity, and pride. Proper documentation, route planning, participant registration, and independent verification should be arranged to support the record attempt, if any while ensuring safety, discipline, and respectful handling of the Tiranga throughout the event.
2. **State/UT-level Tiranga Concerts** may be organized with participation of the Hon'ble Governor/Lieutenant Governor, Hon'ble Chief Minister and other dignitaries, incorporating patriotic songs, **collective singing of the National Song "Vande Mataram"**, the **Tiranga Anthem** and other suitable cultural performances.
3. It may be ensured that all **Independence Day celebrations** organized by the State Government/UT Administration include **collective singing of the National Song "Vande Mataram"** along with **hoisting/display of the National Flag (Tiranga)**.
4. **Tiranga Exhibition** curated by the Ministry of Culture (available in the download section of the **Har Ghar Tiranga Portal** (www.harghartiranga.com)) may kindly be displayed at prominent public places such as shopping malls, railway stations, airports, bus terminals, public parks and other locations having high public footfall. Wherever feasible, the exhibition may be inaugurated by a dignitary.
5. **Tiranga Cycle Rallies/E-Bike Rallies may be organized** across districts and Gram Panchayats during the campaign period.
6. Adequate availability and distribution of the **National Flag (Tiranga)** may be ensured throughout the State/UT during the campaign period.
7. **Tiranga-themed illumination and decoration may be undertaken**, wherever feasible, at Government buildings, dams, bridges, roads, airports, railway stations, bus terminals, hospitals, schools, marketplaces, prominent roundabouts and other public places.
8. Creation of **large Tiranga-themed Rangoli** may be encouraged at prominent public places having high public footfall.
9. Schools and educational institutions may be encouraged to decorate campus walls with **Tiranga-inspired artwork**, quotations of freedom fighters and excerpts from the National Song **"Vande Mataram"**.
10. **Har Ghar Tiranga 2026** campaign may be ensured to be publicized through the official website and social media platforms of the State Government/UT Administration and encourage officers, employees and the public to participate in the digital campaign by uploading **"Selfie with Tiranga"** on the **Har Ghar Tiranga Portal** (www.harghartiranga.com).

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
 Government of India
 Ministry of Home Affairs
 (Public Section)

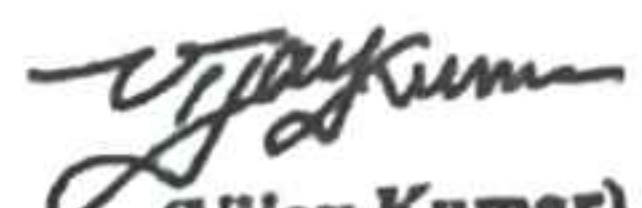
North Block, New Delhi
 Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".


 (Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
 Tele No. 2309 3101

To

**The Chief Secretaries/Administrators of
 All State Governments/UT Administrations,
 Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.**

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NTI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.


 (Vijay Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India
 Tele No. 2309 3101

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

- 1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
 - 2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
 - 3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
 - 4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
 - 5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।
-

झण्डा फहराने के नियम

- 1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।
- 2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
- 3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।
- 4- दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।
- 5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।
- 6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।
- 7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

राष्ट्रीय गीत
वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे ।
वन्दे मातरम् ॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम् ।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ॥

National Song

VANDE MATARAM

Vandē Mātaram, Vandē Mātaram.
Sujalām suphalām malayaja-sheetalām,
Shasya-Shyāmalām Mātaram.
Vandē Mātaram.

Shubhra-jyotsnā pulakita-yāmineem,
Phulla-kusumita druma-dala-shobhineem,
Suhāsineem sumadhura-bhāshineem,
Sukhadām varadām Mātaram.
Vandē Mātaram.

Koti-koti kantha kal-kal nināda karāle,
Koti-koti bhujairdhṛita kharkarvāle,
Ke bole Mā tumi abale,
Bahubaladhāriṇeem namāmi tāriṇeem,
Ripudala-vāriṇeem Mātaram.
Vandē Mātaram.

Tumi vidyā, tumi dharma,
Tumi hṛdi, tumi marma,
Tvam hi prāṇāḥ shareere
Bahute tumi Mā shakti,
Hṛdaye tumi Mā bhakti,
Tomārai pratima gadi mandire-mandire.
Vandē Mātaram.

Tvam hi Durgā dasha-praharaṇa-dhāriṇee,
Kamalā kamala-dala-vihāriṇee,
Vāṇee vidyā-dāyinee,
Namāmi tvām namāmi kamalām,
Amalām atulām,
Sujalām suphalām Mātaram.
Vandē Mātaram.

Shyāmalām saralām susmitām bhūṣhitām,
Dharaṇeem bharaṇeem Mātaram.
Vandē Mātaram, Vandē Mātaram.